न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :-9/2018/भीलवाड़ा (2018/00009)

1. कालू पुत्र उदा,
2. काना पुत्र उदा,
3. नाथू पुत्र उदा,
4. मोहन पुत्र धूकल,

समस्त जाति बैरवा, निवासी कटारियों का खेड़ा, तह0 माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र बलदेव, जाति बैरवा, निवासी देवखेड़ी, तहसील कोटड़ी जिला भीवलाड़ा ।
2. कैलाशचन्द पुत्र बलदेव जाति बैरवा, निवासी देवखेड़ी, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
3. मोहनी बेवा बलदेव, जाति बैरवा, निवासी देवखेड़ी, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
4. हीरा पुत्री बलदेव, जाति बैरवा, निवासी देवखेड़ी, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
5. मनभर पुत्री बलदेव, जाति बैरवा, निवासी देवखेड़ी, तह0 कोटडी, जिला भीलवाड़ा ।
6. भोली पुत्री बलदेव, जाति बैरवा, निवासी देवखेडी, तह0 कोटडी, जिला भीलवाड़ा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा दिनांक 11.4.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 8/2014.

उपस्थितः-

1. श्री वैभवकृष्ण पारीक, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. श्री बी0एस0शेखावत, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांक :– 16.01.2019

अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार, माण्डलगढ़ (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.4.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पिता बलदेव ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कटारियों का खेड़ा के नामांतकरण संख्या 140 पर ग्राम पंचायत राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2004 शून्य प्रभावी है । श्रवण एवं छीतर सगे भाई थे । श्रवण की मृत्यु छीतर की मृत्यु के बाद हुई है । श्रवण के कोई संतान नहीं होने से श्रवण एवं उनकी पत्नी द्वारा अपीलांट बलदेव को गोद लिया गया था । इस प्रकार स्व0 छीतर का वारिस सुवा रहा एवं छीतर का उत्तराधिकारी अपीलांट/रेस्पोडेंट है । श्रवण की मृत्यु के पश्चात् उनकी जायदाद कृषि भूमि का खाता उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अपीलांट/रेस्पोडेंट बलदेव एवं भूरी बेवा श्रवण के नाम खोला गया । वर्तमान राजस्व अभिलेखों में श्रवण की कृषि भूमि ग्राम कटारियों का खेड़ा में अपीलांट/रेस्पोडेंट की खातेदारी बलदेव मुतबन्ना श्रवण चमार के नाम अभिलिखित है । अपीलांट की गोदी माता भूरी बेवा श्रवण की मृत्यु हो गई है । भूरी का वारिस भी अपीलांट ही है । स्व0 श्रीमती भूरी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के भाई की पत्नि होकर भाभी लगती है । इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से भी निकट का संबंध भूरी से अपीलांट बलदेव का है, क्योंकि बलदेव उसका पुत्र है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 से कुसंयोजन कर व स्वंय को भूरी के उत्तराधिकारी नहीं होते हुए भी भूरी की खातेदारी की भूमि का नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 द्वारा अपने नाम खुलवा लिया है जो विधिविरूद्ध है । अतः नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त जायदाद में भूरी के हिस्से की कृषि भूमि का नामांतकरण अपीलांट बलदेव के नाम खोले जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने निर्णय दिनांक 24.12.2012 द्वारा अपीलांट बलदेव की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, माण्डलगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर मृतक खातेदार के वारिसान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर नामांतकरण की कार्यवाही अज सिरे से करे । प्रकरण तहसीलदार,

माण्डलगढ़ को रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत तहसीलदार, माण्डलगढ़ ने निर्णय दिनांक 11.4.2016 को पारित कर भूरी बेवा श्रवण चमार के नाम दर्ज इंद्राज को हटाया जाकर प्रार्थी बलदेव मुतबन्ना श्रवण चमार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । तहसीलदार, माण्डलगढ़ के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोर्डेटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी कारण के रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पिता बलदेव के नाम पर नामांतकरण तस्दीक किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो पूर्णतया अवैधानिक है क्योंकि बलदेव की मृत्यु हो चुकी है इसलिये मृतक के नाम किसी भी प्रकार का नामांतकरण नहीं खोला जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । विवादित भूमि में बलदेव का कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही कभी कब्जा काश्त रहा है । अधी0न्याया0 ने केवलमात्र राशनकार्ड व वोटर लिस्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि मे बलदेव के नाम इंद्राज करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिविरूद्ध है। अधी0न्याया0 ने दिनांक 11.4.2016 को जो निर्णय पारित किया है उसका फर्द अहकाम में कोई अंकन नहीं है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि दिनांक 29.5.2014 को बलदेव के बयान लिया जाना बताया है परन्तु उसके पश्चात् अपीलांटस या उसके अभिभाषक को जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नियमविरूद्ध है। अधी0न्याया0 में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दिनांक 22. 2.2016 को पैरवी करने से इंकार कर दिया था तो अधी0न्याया0 को अपीलांट को नोटिस प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है । नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 को ग्राम पंचायत राजगढ़ द्वारा उदा व धूकल के नाम जरिये वसीयतनामा दिनांक 6.5.2003 को नोटेरी पब्लिक के आधार पर तस्दीक किया गया था। भूरी के राशनकार्ड में केवल भूरी का ही नाम दर्ज है एवं इस राशनकार्ड में बलदेव का नाम दर्ज नहीं है । विवादित भूमि का खातेदार श्रवण था तथा श्रवण का बलदेव से कोई संबंध नहीं है तथा श्रवण व उसकी पत्नी भूरी ने कभी भी बलदेव को गोद

नहीं लिया था जबकि श्रवण की जायज वारिस केवल मात्र उसकी पत्नी भूरी थी जिसने उदा व धूकल के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 6.5.2003 को निष्पातिद किया था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के न्यायालय में उदा व धूकल द्वारा खातेदार, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा संख्या 176/2005 विचाराधीन है इसलिये नामांतकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने बिना किसी गोदनामे के रेस्पो0 के पिता बलदेव को गोदपुत्र मानने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 11.4. 2016 अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 140 को बहाल रखा जावे । xx

4- अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया । दिनांक 5.1.2018 को पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को बताया कि उनके विरूद्ध माण्डलगढ़ कोर्ट से निर्णय हो चुका है एवं विवादित आराजियात बलदेव के नाम दर्ज किये जाने के आदेश हुए है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलधीन निर्णय की जानकारी कर निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । तहसीलदार ने मूल नामांतकरण से प्रभावित सभी पक्षकारों जरिये नोटिस तलब किया तथा आपत्तियों को सुनकर ही प्रकरण को निर्णित किया है इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है वह गलत व निराधार है । अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु इसके बावजदू अपीलांटस अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए थे जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी । ग्राम पंचायत राजगढ़ ने भूरी बेवा श्रवण चमार की खातेदारी में दर्ज भूमि का नामांतकरण उसके देवर उदा व धूकल पुत्र गोकल के नाम अपंजीकृत वसीयत दिनांक 6.5.2003 के आधार पर खोला था किन्तु इस संबंध में पंचायत राजगढ़ द्वारा नामांतकरण की कार्यवाही कायम नहीं की गई तथा न ही वसीयत के गवाहों से अपंजीकृत वसीयत के साक्षियों की गवाही ली गई है तथा इसी कारण अधी0न्याया0 ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 140 का अपास्त किया है जो विधिसम्मत् है । अपीलांटस के पिता उदा व धूकल ने अपंजीकृत वसीयत को साक्षियों से साबित भी नहीं कराया है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि गवाहों ने बलदेव को श्रवण व भूरी द्वारा गोद लिया जाना स्वीकार किया है तथा

बलदेव भूरी के जीवन काल तक सहखातेदार के रूप में अभिलिखित रहा है । यदि बलदेव भूरी का गोदपुत्र नहीं होता तो भूरी अपने जीवनकाल में ही बलदेव का नाम हजब करवा कर श्रवण के खाते की आराजियात अपने नाम करवा लेती । रेस्पो0 के पिता ने अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में राशनकार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रतियां पेश की है जिसमें बलदेव के पिता का नाम श्रवण एवं माता का नाम भूरी अंकित है। विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0बी0जे0 (11) 2004 पृष्ठ संख्या 610, आर0बी0जे0 (6) 1999 पृष्ठ संख्या 420, डी0एन0जे0 सुप्रीम कोर्ट सप्लीमेंट्री 2007–08 पेज 406, 251 एवं आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 780 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

6- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दू पर गुणावगुण पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7- प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है उक्त नामांतकरण ग्राम पंचायत राजगढ़ द्वारा खातेदार भूरी बेवा श्रवण की मृत्यु होने पर अपीलांटस के पिता उदा व धूकल के नाम अपंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया गया है । उक्त नामांतकरण को रेस्पो0 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ ने प्रकरण में दिनांक 24.12.2015 को निर्णय पारित कर नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, माण्डलगढ़ को प्रतिप्रेषित किया । तहसीलदार, माण्डलगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के पिता व पति के नाम दर्ज अभिलेख किये जाने के आदेश पारित किये है। ग्राम पंचायत, राजगढ़ ने अपीलांटस के पिता उदा व धूकल के नाम नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 केवल मात्र अपंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत किया है । ग्राम पंचायत ने तथाकथित नामांतकरण स्वीकृत करने से पूर्व न तो वसीयत के गवाहों से वसीयत की प्रमाणिकता को सिद्ध किया हे एवं ना ही भूरी बेवा श्रवण के विधिक वारिसान के संबंध में ही कोई जांच की है तथा न ही इस संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही उपलब्ध है । अपंजीकृत वसीयत की प्रमाकिता सिद्ध

कराये बिना अपंजीकृत वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामांतकरण को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। इसी कारण अधी0न्याया0 ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 140 दिनांक 5.7.2004 को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् है किन्तु साथ ही तहसीलदार, माण्डलगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 11.4.2016 में रेस्पोडेंटस के पिता/पति के नाम मृतक भूरी बेवा श्रवण की आराजियात केवल मात्र इस आधार पर कि बलदेव के राशनकार्ड में भूरी बेवा श्रवण एवं श्रवण का नाम माता–पिता की हैसियत से दर्ज है तथा बलदेव के मतदाता पहचान कार्ड में भी बलदेव के पिता का नाम श्रवण अंकित है, के आधार पर बलदेव को श्रवण एवं भूरी का गोदपुत्र मानकर राजस्व अभिलेख में मृतक भूरी की आराजियात दर्ज अभिलेख करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है क्योंकि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट्स के पिता के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयत तथा रेस्पो0 के पति एवं पिता के गोदपुत्र होने संबंधी दो मुख्य बिन्दू विचारणीय थे । अधी0न्याया0 को अपंजीकृत वसीयत की प्रमाणिकता के संबंध में वसीयत के गवाहों एवं आवश्यकत दस्तावेजी साक्ष्यों/गवाहान आदि से वसीयत की प्रमाणिकता सिद्ध करने तथा रेस्पो0 के पति व पिता के गोदपुत्र होने के संबंध में गोदनामा, गीव एण्ड टेक सेरेमनी, रेस्पो0 के स्वंय के पिता/पति के पिता की भूमि मे उनकी हिस्सेदारी संबंधी राजस्व अभिलेख का अवलोकन आदि के क्रम मे प्रमाणिकता बाबत् कार्यवाही करने के पश्चात् मृतक भूरी बेवा श्रवण चमार के विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण खोले जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपंजीकृत वसीयत की प्रमाणिकता एवं गोद पुत्र की प्रमाणिकता के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर मात्र अपंजीकृत वसीयतनामा एवंम राशनकार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पिता व पति बलदेव के नाम नामांतकरण दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:–

8- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 9/2018 (2018/00009) बउनवानी कालू बनाम नारायण व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य माना जाता है तथा तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 8/2014 बउनवान बलदेव बनाम उदा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.4.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, माण्डलगढ़ को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट्स के पिता के पक्ष में निष्पादित अपंजीकृत वसीयत एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पति व पिता के गोदपुत्र की प्रमाणिकता के संबंध में

उभयपक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर मृतक खातेदार भूरी बेवा श्रवण के विधिक वारिसान के नाम पुनः नामांतकरण की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

9- आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.01.17 13:32:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: